अध्याय – 1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2017 को छत्तीसगढ़ में 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) थे, जिसमें 22 सरकारी कम्पनियाँ व एक सांविधिक निगम सम्मिलित थे (***अनुलग्नक–1.1***) जैसा की नीचे तालिका–1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका–1.1: 31 मार्च 2017 को पीएसयूज की संख्या

पीएसयूज के प्रकार	कार्यशील पीएसयूज	अकार्यशील पीएसयूज[1]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[2]	19	3	22
सांविधिक निगम	1	–	1
योग	20	3	23

वर्ष 2016–17 के दौरान, दो पीएसयूज[3] गठित हुये एवं सीएजी द्वारा इनका लेखापरीक्षा सौंपा गया। 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में, 20 कार्यशील व तीन अकार्यशील पीएसयूज में से 17 कार्यशील व तीन अकार्यशील पीएसयूज[4] ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि के अपने लेखे अंतिमीकृत किए (***अनुलग्नक–1.2***)। इन 20 पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 12 पीएसयूज ने ₹ 142.38 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयूज ने ₹ 544.84 करोड़ की हानि वहन की तथा शेष एक पीएसयू[5] को न लाभ हुआ न हानि। 31 दिसम्बर 2017 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन पीएसयूज द्वारा ₹ 23,094.67 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया।

20 पीएसयूज द्वारा राज्य शासन के निवेश (₹ 6,972.39 करोड़) पर औसत 3.52 प्रतिशत प्रतिफल (आरओआई) उत्पन्न किया गया। इसके विपरीत, वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान, राज्य शासन के ऋण की औसत लागत 8.17 प्रतिशत थी। अतः विगत तीन वर्षों में लेखे अंतिमीकृत करने वाले इन 20 पीएसयूज में निवेश करने के कारण, सरकारी कोष को लगभग ₹ 324.21 करोड़ की हानि हुई। शेष तीन पीएसयूज जिनके द्वारा लेखे अंतिमीकृत नहीं किए, उनकी हानि, यदि कोई हो, आंकलित नहीं की जा सकी।

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, राज्य के 23 पीएसयूज में 19,683 कर्मचारी[6] थे। तीन अकार्यशील पीएसयूज में विगत तीन वर्षों में कोई गतिविधि नहीं हुई तथा 31 मार्च 2017 तक इनमें ₹ 338.17 करोड़ (अंश पूंजीः ₹ 104.70 करोड़ व ऋणः ₹ 233.47 करोड़) का निवेश था।

---

[1] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें पिछले तीन वर्षों में कोई गतिविधि नहीं हुई।

[2] कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), 139(5) और 139(7) में उल्लेखित कम्पनियाँ।

[3] रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड।

[4] छत्तीसगढ़ सोंधिया कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड एंव सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड ने 2016–17 तक के अपने लेखे अंतिमिकृत किए।

[5] सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड के शुद्व व्यय का परियोजना निर्माण अवधि के दौरान पूंजीगत चालू कार्य की मद में लेखांकन किया गया।

[6] इसमें अकार्यशील पीएसयू सीएसपीजीसीएल एईएल पारसा कोलियरीज लिमिटेड का एक कर्मचारी शामिल है।

अनुशंसाएँ:

चूँकि पीएसयूज में हो रही लगातार हानि व अकार्यशील पीएसयूज के अस्तित्व में बने रहने के कारण सरकारी कोष को भारी हानि हो रही है, अतः राज्य सरकार को चाहिए कि: (i) हानि में चल रहे सभी पीएसयूज की कार्य पद्धति का अवलोकन करे तथा (ii) अकार्यशील पीएसयूज के समापन की संभावना की समीक्षा करें।

जवाबदेयता संरचना

1.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है तथा इन कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सम्पादित करता है।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्लूसी) की लेखापरीक्षा राज्य भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) द्वारा नियंत्रित होती है। सीएसडब्लूसी की लेखापरीक्षा राज्य शासन द्वारा सीएजी के परामर्श पर नियुक्त चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा की जाती है तथा इसके पश्चात अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक निगम के लिए लागू कानून के तहत सीएजी द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन शासन को जारी किए जाते हैं, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार उन्हे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करवाता है।

1.3 छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग इन पीएसयूज के क्रिया–कलापों पर नियंत्रण रखते हैं, जिनके मुख्य कार्यकारी व निदेशक मण्डल राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जाते है।

छत्तीसगढ़ शासन का अंश

1.4 पीएसयूज में राज्य शासन के अंश मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, नामतः अंश पूँजी व ऋण, विशेष बजटीय सहायता के रूप में उपभोक्ताओं को अनुदान व सब्सिडी तथा पीएसयूज द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर प्रत्याभूति।

राज्य पीएसयूज में निवेश

1.5 31 मार्च 2017 को राज्य के 23 पीएसयूज में राज्य शासन, केंद्र शासन व अन्य द्वारा किये गये निवेश (अंश पूंजी व दीर्घावधि ऋण) ₹ 24,161 करोड़ था जिसका विवरण तालिका–1.2 में दिया गया है (अधिक जानकारी ***अनुलग्नक–1.1*** में दी गयी है)।

तालिका–1.2: 31 मार्च 2017 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज के प्रकार	अंतिमीकृत लेखों की स्थिति	अंश पूंजी			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य शासन	अन्य[7]	कुल	राज्य शासन	अन्य[8]	कुल	
कार्यशील पीएसयूज	2014–15 से 2016–17[9]	6,646.87	5,428.95	12,075.82	325.52	11,413.89	11,739.41	23,815.23
	2014–15 से पूर्व	5.80	–	5.80	1.71	0.09	1.80	7.60
	उप–योग	**6,652.67**	**5,428.95**	**12,081.62**	**327.23**	**11,413.98**	**11,741.21**	**23,822.83**
अकार्यशील पीएसयूज	2014–15 से 2016–17	–	104.70	104.70	–	233.47	233.47	338.17
	2014–15 से पूर्व	–	–	–	–	–	–	–
	उप–योग	**–**	**104.70**	**104.70**	–	233.47	233.47	338.17
योग		**6,652.67**	**5,533.65**	**12,186.32**	**327.23**	**11,647.45**	**11,974.68**	**24,161.00**

(स्त्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखे/पीएसयूज द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार)

1.6 31 मार्च 2017 को राज्य के पीएसयूज में निवेश की क्षेत्रवार संक्षेपिका तालिका–1.3 में दी गयी है।

तालिका–1.3: राज्य के पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	कार्यशील पीएसयूज		अकार्यशील पीएसयूज		योग	कुल निवेश	विगत पाँच वर्षों में कुल निवेश
	तीन वर्ष के लेखों के साथ	तीन वर्ष के लेखों के बिना	तीन वर्ष के लेखों के साथ	तीन वर्ष के लेखों के बिना			
कृषि व सहायक	2	–	–	–	2	27.15	0
वित्त	1	–	–	–	1	40.49	24.02
अधोसंरचना	1	3	–	–	4	12.60	(–) 16.16
खनन	2	–	3	–	5	430.71	381.40
ऊर्जा	5	–	–	–	5	23,458.83	6,157.57
सेवाएँ	6	–	–	–	6	191.22	(–)120.18
योग	**17**	**3**	**3**	**–**	**23**	**24,161.00**	**6,426.65**

(स्त्रोतः पीएसयूज के अंकेक्षित लेखे/पीएसयूज द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार)

पीएसयूज में पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सीएसईबी) के जनवरी 2009 में पाँच कंपनियो[10] में विभाजित होने के परिणामस्वरुप राज्य शासन का पीएसयूज में

[7] केंद्र सरकार की अंश पूंजी और राज्य सरकार के दो नियंत्रक कम्पनियों द्वारा उनकी आठ सहायक कम्पनियों में ₹ 0.92 करोड़ ₹ 5,530.61 करोड़ का निवेश सम्मिलित है।

[8] केंद्र सरकार और वित्तीय संस्थानों से ऋण सम्मिलित है।

[9] कम से कम 2014–15 तक के लेखे को अंतिमिकृत किये गये।

[10] छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड।

निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य शासन के द्वारा ₹ 6,746.06 करोड़ (अंश पूंजी में ₹ 6,593.69 करोड़ व ऋण में ₹ 152.37 करोड़) के निवेश में से ₹ 1,223.85 करोड़[11] का निवेश 2012–17 के दौरान किया गया।

1.7 वित्त लेखों व पीएसयूज के लेखों में प्रदर्शित राज्य शासन की अंश पूंजी व ऋण के आंकड़ों में अंतर को तालिका–1.4 में दिया गया है:

तालिका–1.4: 31 मार्च 2017 को अंशपूंजी व बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश	वित्त लेखों के अनुसार	पीएसयूज के लेखों के अनुसार	अंतर[12]
अंश पूंजी	6,463.82	6,652.67	**188.85**
ऋण	283.75	327.23	**43.48**

(स्त्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदत्त जानकारी व छत्तीसगढ़ शासन के 2016–17 के वित्त लेखे)

छत्तीसगढ़ शासन वित्त लेखों तथा पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार प्रदत्त प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में अंतर को तालिका–1.5 में नीचे दिया गया है:

तालिका–1.5: 31 मार्च 2017 को बकाया प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

बकाया प्रत्याभूतियाँ	वित्त लेखों के अनुसार	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार	अंतर
	5,423.28	3,416.80	**2,006.48**

(स्त्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदत्त जानकारी व छत्तीसगढ़ शासन के 2016–17 के वित्त लेखे)

अनुशंसाः

वित्त विभाग, प्रशासनिक विभागों व पीएसयूज को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ आँकड़ो के अंतरों में समयबद्ध तरीकें से मिलान हेतु त्वरित कदम उठाया जाना चाहिए।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.8 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक, कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं, जिसके तहत् कम्पनी का हर अधिकारी जिससे चूक होगी, पर एक वर्ष तक की कैद या पचास हजार रूपये से पाँच लाख रूपये तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षा एवं विधायिका में प्रस्तुतिकरण राज्य भण्डारगृह निगम अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

31 दिसम्बर 2017 को, 13 कार्यशील पीएसयूज के लेखे पाँच वर्ष तक के समय से बकाया थे, जैसा कि ***अनुलग्नक–1.3*** में दर्शाया गया है। लेखों के अंतिमिकरण में देरी के परिणामस्वरूप, निश्चित अवधि के पश्चात प्रायः महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता अथवा हानि के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण, गबन व दुरुपयोग की संभावना का भय बना रहता है।

[11] अंश पूजी में ₹ 1,438.67 करोड़ की वृद्वि हुई एंव ऋण ₹ 214.82 करोड़ से कम हो गया।

[12] अंतर के मुख्य कारण वित्त लेखों में उल्लेखित नही होना है एंव सरकारी निवेश के वर्गीकरण में अंतर है।

20 कार्यशील पीएसयूज में से, मात्र सात पीएसयूज [13] ने 2016–17 के अपने लेखों का अंतिमीकरण किया एवं शेष 13 पीएसयूज के 20 लेखे[14] लंबित थे। 20 पीएसयूज में से, 11 पीएसयूज के लेखे एक वर्ष से, एक पीएसयू के लेखे चार वर्ष से तथा एक पीएसयू के लेखे पाँच वर्ष से लंबित थे, जिसका विवरण ***अनुलग्नक–1.3*** में दिया गया है। 31 दिसम्बर 2017, को तीन अकार्यशील पीएसयूज के कोई भी लेखे लंबित नही थे।

13 कार्यशील कम्पनियों, जिनके लेखे बकाया थे, के संचालन जो कम्पनी अधिनियम के उक्त दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत हैं, की जानकारी ***अनुलग्नक–1.4 (अ)*** व ***(ब)*** में दी गई है।

1.9 राज्य सरकार द्वारा आठ कार्यशील पीएसयूज को ₹ 7,707.17 करोड़ {अंश पूंजीः ₹ 490 करोड़ (एक पीएसयू), पूंजीगत अनुदानः ₹ 570.82 करोड़ (तीन पीएसयूज), अन्य (सब्सिडी व राजस्व अनुदान): ₹ 3,236.05 करोड़ (छः पीएसयूज) एवं प्रत्याभूतियाँः ₹ 3,410.30 करोड़ (तीन पीएसयूज)} बजटीय सहायता उस अवधि में दिये गये, जब उनके लेखे बकाया थे, जिसका विवरण ***अनुलग्नक–1.5*** में दिया गया है। इसमें से ₹ 315.63 करोड़ की बजटीय सहायता उन दो कार्यशील पीएसयूज[15] को दी गयी थी जिनके लेखे तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया थे, जिसमें से ₹ 156.46 करोड़ इन पीएसयूज को 2016–17 के दौरान दिये गए थे।

राज्य शासन द्वारा उक्त पीएसयूज को जिनके लेखे बकाया थे को बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था, क्योंकि राज्य शासन के पास इन पीएसयूज की वित्तीय सुदृढ़ता का आकंलन करने का कोई आधार नहीं था।

अनुशंसाएं:

1. **वित्त विभाग व संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के पीएसयूज अपने लेखों को अद्यतन बनाने के लिए त्वरित कदम उठाएँ, ताकि इन पीएसयूज के निदेशक कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के दोषी ना बने रहें।**

2. **वित्त विभाग व संबंधित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता उन पीएसयूज को न दी जाए जिनके लेखे अद्यतन नहीं हैं।**

अद्यतन अंतिमीकृत लेखो के अनुसार पीएसयूज का प्रदर्शन

1.10 वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखों को अंतिम रूप देने वाले 18 पीएसयूज [16] ***(अनुलग्नक –1.6)*** के प्रदर्शन का आकंलन करने के लिए प्रयुक्त मुख्य वित्तीय अनुपात तालिका–1.6 में आगे दिया गया है।

[13] ***अनुलग्नक–1.1*** की क्रम संख्या अ2, अ6, अ9, अ15, अ18, अ19, एंव ब1

[14] प्रति वर्ष एक लेखों की दर से।

[15] छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड।

[16] वित्तीय अनुपात की गणना अकार्यशील पीएसयूज अथवा उन पीएसयूज के लिए नहीं की जा सकती जिनके लेखे बकाया हैं।

तालिका–1.6: कार्यशील पीएसयूज के प्रमुख पैमाने					
विवरण	प्रमुख पैमाने (प्रतिशत में)	2014–15	2015–16	2016–17	औसत
लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज	आरओसीई[17]	1.52	5.03	24.43	10.33
	आरओआई[18]	1.52	5.03	24.43	10.33
	आरओई[19]	0.77	2.12	10.03	4.31
हानि वहन करने वाले पीएसयूज	आरओसीई	(–)60.51	(–)249	(–)7.47	(–)105.66
	आरओआई	(–)60.51	(–)249	(–)7.47	(–)105.66
	आरओई	(–)194.12	(–)2859.14	(–)6.72	(–)1019.99
सभी पीएसयूज का औसत	आरओसीई	(–)0.16	3.84	24.06	9.25
	आरओआई	(–)0.16	3.84	24.06	9.25
	आरओई	(–)1.77	(–)3.71	9.77	1.43
ऋण की लागत		**8.61**	**8.28**	**7.63**	**8.17**
(स्त्रोतः जानकारी पीएसयूज के अंतिमीकृत लेखों व छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखों के अनुसार)					

1.11 लाभ में प्रमुख योगदानकर्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹ 35.75 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम (₹ 32.79 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 32.11 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 16.75 करोड़), और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 8.75 करोड़) थे। 2014–17 के दौरान इन कम्पनियों की आरओआई 4.44 और 41.24 प्रतिशत के बीच थी। दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को उनके नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार भारी हानि (₹ 540.64 करोड़) हुई।

1.12 राज्य सरकार ने राज्य के पीएसयूज के लिए कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नही की है। यद्यपि, इसके परिणामस्वरुप अंतिमीकृत लेखो के अनुसार नौ पीएसयूज ने जिनमें ₹ 6146.97 करोड़[20] की शासकीय अंशपूजी थी अद्यतन ₹ 74.43 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया केवल एक पीएसयूज छत्तीसगढ़ वन विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 0.87 करोड लाभांश प्रस्तावित किया अर्थात अपने लाभ का 9.94 प्रतिशत।

अनुशंसाः

वित्त विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार (समता पूँजी के पाँच प्रतिशत) और मध्य प्रदेश सरकार (कर के बाद के लाभ का 20 प्रतिशत) के जैसे, लाभ अर्जित करने वाली पीएसयूज में निवेशित अंश पूँजी पर निर्दिष्ट लाभांश देने के लिए लाभांश नीति तैयार करना चाहिए।

1.13 कम्पनी अधिनियम, 2013 में उल्लेख है कि प्रत्येक कम्पनी के निदेशक मंडल को एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करना चाहिए। यद्यपि, यह देखा गया कि 20 क्रियाशील कम्पनियों में से नौ कम्पनियों ने 2014–17 के दौरान चार से कम बैठकें आयोजित की जिसका विवरण तालिका–1.7 में आगे दिया गया है।

[17] नियोजित पूंजी पर प्रतिफल = (लाभांश, ब्याज और कर से पूर्व का शुद्ध लाभ/ हानि)/नियोजित पूँजी।

[18] निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) = (लाभांश, ब्याज और कर से पूर्व का शुद्ध लाभ)/ निवेश।

[19] अंश पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) = (कर के बाद का शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश)/ पूँजीधारकों की निधि।

[20] नवीनतम अंतिमीकृत खातों के अनुसार शेयरधारकों की निधि।

तालिका–1.7: कम्पनियों द्वारा आयोजित बैठक का विवरण							
क.सं.	कम्पनी का नाम	आयोजित की गई बैठक की संख्या			बैठको में कमी		
		2014–15	2015–16	2016–17	2014–15	2015–16	2016–17
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	4	2	4	निरंक	2	निरंक
2	छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एंव विकास निगम	1	निरंक	निरंक	3	4	4
3	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	1	2	1	3	2	3
4	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड	2	2	2	2	2	2
5	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	4	4	3	निरंक	निरंक	1
6	केरवा कोल लिमिटेड	1	3	3	3	1	1
7	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	4	4	3	निरंक	निरंक	1
8	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	4	3	4	निरंक	1	निरंक
9	छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम	2	3	2	2	1	2
(स्त्रोतः आँकडे कम्पनियों के अभिलेखों से संकलित)							

अकार्यशील पीएसयूज का समापन

1.14 31 मार्च 2017 की स्थिति में तीन अकार्यशील पीएसयूज थे। हालांकि, राज्य सरकार ने अभी तक इन कम्पनियों के समापन/पुनः प्रवर्तन पर निर्णय नही लिया है।

लेखों पर टिप्पणियां

1.15 वर्ष 2016–17[21] के दौरान 17 कार्यशील कम्पनियों[22] द्वारा अपने 22 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए गए। इनमें से 16 कम्पनियों के 2014–15 से 2016–17 की अवधि के 21 लेखों का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए हुआ। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकेत मिलता है कि लेखों के संधारण की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका–1.8 में दिया गया है।

[21] अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान।

[22] ***अनुलग्नक–1.1*** की क्रम संख्या अ1, अ2, अ3, अ6, अ8, अ9, अ10, अ11, अ12, अ13, अ14, अ15, अ16, अ17, अ18, अ19, एवं ब1।

तालिका–1.8: कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014–15		2015–16		2016–17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	9	26.35	8	31.09	9	114.64
2	हानि में वृद्धि	4	6.09	3	7.94	2	167.80
3	लाभ में वृद्धि	5	150.74	4	177.42	3	1.46
4	हानि में कमी	1	360.86	4	26.58	–	–
5	महत्वपूर्णतथ्यों को प्रकट न करना	6	527.54	6	581.49	5	2,288.68
6	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	6	77.76	3	17.12	1	15.37

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 क्रियाशील कम्पनियों द्वारा अंतिमीकृत 20 लेखों पर दोषयुक्त प्रमाण पत्र दिये। आठ[23] कम्पनियों के नौ लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 15 मामले थे जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को तत्काल उन 16 कम्पनियों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित टिप्पणियां दी गई है।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ और कंडिकाएँ

1.16 एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और चार लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ कम्पनियों के प्रबंधन और संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को जारी की गई थी (मार्च 2017 से अक्टूबर 2017 तक)। प्रबंधन तथा विभागो के उत्तर प्राप्त हुए तथा उन्हें संबंधित निष्पादन लेखा परीक्षा/लेखा परीक्षा कंडिकाओं में सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उत्तरवर्ती कार्यवाही

अप्राप्त उत्तर

1.17 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच प्रक्रिया के परिणाम को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (अप्रैल 2017) कि सरकारी पीएसयूज संबंधी समिति की प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, उनकी विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका–1.9 में दी गई है।

[23] ***अनुलग्नक–1.1*** की क्रम संख्या अ2, अ10, अ11, अ13, अ14, अ15, अ17, एवं ब1।

तालिका–1.9: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 जुलाई 2018 को)					
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सिविल एवं वाणिज्यिक/पी. एस.यूज)	विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की दिनांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षा व कंडिकाओं की संख्या जिन का उत्तर /व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लंबित हैं	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2008–09	26 मार्च 2010	1	5	–	2
2014–15	31 मार्च 2016	1	13	1	0
योग		**2**	**18**	**1**	**2**

2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकाएँ के व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हो गयी है, जबकि 2008–09 और 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक अप्राप्त है (जुलाई 2018)।

अनुशंसा:

संबंधित प्रशासनिक विभागों[24] को चाहिए कि वित्त विभाग के निर्देशों (अप्रैल 2017) का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा आपत्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया दें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.18 31 जुलाई 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल और वाणिज्यिक) और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूस) सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं और उन पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति तालिका– 1.10 में दर्शायी गयी है।

तालिका–1.10: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाएँ एवं उन पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा/की गई चर्चा की स्थिति (31 जुलाई 2018 को)				
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		कंडिकाएँ जिन पर चर्चा की गयी	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2008–09	01	05	01	03
2009–10	01	08	01	08
2010–11	01	08	01	06
2011–12	01	10	-	09
2012–13	01	09	01	09
2013–14	01	11	01	08
2014–15	01	13	-	04
2015–16	01	10	-	02
योग	**08**	**74**	**05**	**49**

[24] उर्जा विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य और उद्योग विभाग, भूविज्ञान और खनन विभाग एंव वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.19 जुलाई 2008 और मार्च 2010 के दौरान राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति[25] के दो प्रतिवेदनों में सम्मिलित दो कंडिकाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन लंबित है (जुलाई 2018) जैसा की तालिका–1.11 में दर्शाया गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन सीएजी के 2002–03 एवं 2004–05 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित हैं। वर्ष 2005–06, 2006–07 एवं 2008–09 से बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन अभी तक (जुलाई 2018) प्रस्तुत नहीं किए हैं।

तालिका–1.11: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों पर अनुपालन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या[26]	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिन पर कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए
2002–03	01	01	01
2004–05	01	01	02
योग	**02**	**02**	**02**

(स्त्रोतः लेखा परीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

अनुशंसाः

राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

राज्य के पुनर्गठन के पश्चात पीएसयू का पुनर्गठन

1.20 1 नवंबर 2000 से प्रभावी पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 19 पीएसयू[27] (तब मौजूदा 28 पीएसयूज जिनका विवरण ***अनुलग्नक–1.7*** में है) की संपत्तियाँ और देनदारियां, उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित की जानी थी। यद्यपि, दिसंबर 2017 तक केवल 13 पीएसयूज [28] के संबंध में ही विभाजन पूरा हुआ।

अनुशंसाः

चूंकि राज्य के पुनर्गठन के बाद लगभग दो दशक समय बीत चुका है, इसलिए राज्य सरकार को मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उन छः पीएसयूज की

---

25 छत्तीसगढ़ सरकार के दो विभागों अर्थात खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित है जो कि वर्ष 2002–03 एवं 2004–05 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों मे दर्शित हुई।

26 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन का वर्ष 2008–09 से 2009–10 था और 2011–12 के बाद कोई भी सार्वजनिक पीएसयू सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन नही है।

27 ***अनुलग्नक–1.7*** की क्रम संख्या 1 से 10,12,13,15,16,18 और 19 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नही है)।

28 ***अनुलग्नक–1.7*** की क्रम संख्या 1 से 5, 7 से 9, 12 एवं 13 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नही है)।

संपत्तियों और देनदारियों के शीघ्र विभाजन के लिए कार्य करना चाहिए, जिनमें 1 नवंबर 2000 को ₹ 36.98 करोड़ का सरकारी निवेश था।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.21 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना लागू की (नवंबर 2015)।

चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (जनवरी 2016)।

अनुलग्नक–1.8 में 31 मार्च 2018 तक एमओयू के अनुसार तय महत्वपूर्ण वित्तीय और परिचालन लक्ष्य के संबंध में अब तक की गई प्रगति और उनके उपलब्धि दी गयी है।

सीएसपीडीसीएल ने समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी और संग्रह दक्षता लक्ष्य जो कि लगभग पूर्ण प्राप्त हुए थे को छोड़कर सभी वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त किया। जहाँ तक परिचालन लक्ष्यो की प्राप्ति की बात है, अविद्युतीकृत घरों तक बिजली पहुंचाने और उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्बो के वितरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया। हांलाकि, सीएसपीडीसीएल का वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, फीडर लेखापरीक्षा, ग्रामीण फीडरो की लेखापरीक्षा और फीडर विभक्तिकरण के संबंध मे प्रदर्शन संतोषजनक नही रहा। सीएसपीडीसीएल ने स्मार्ट मीटरीकरण के क्षेत्र में कोई कार्य नही किया।